

इसे वेबसाईट www.govtppressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 जुलाई 2015—आषाढ़ 18, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2015

सूचना

क्र. एफ-3-131-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम में संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 24 अप्रैल 2015 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं।

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के उप नियम (2) में, मद (क) में, खण्ड (एक), (दो), (तीन) तथा (चार) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं अर्थात्:—

“(एक)	आयुक्त, नगरपालिक निगम	अध्यक्ष
(दो)	जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि	सदस्य
(तीन)	पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि	सदस्य
(चार)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	सदस्य.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्र. एफ-3-131-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ 3-131-2012-बत्तीस, दिनांक 9 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, उपसचिव.

Bhopal, the 9th July 2015

NOTICE

No. F-3-131-2012-XXXII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby makes the following Rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 24th April 2015 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

AMENDMENT

In the said rules, in rule 12, in sub-rule (2), in item (A), for clauses (i), (ii), (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(i)	Commissioner, Municipal Corporation	Chairman
(ii)	Representative of District Collector	Member
(iii)	Representative of Superintendent of Police	Member
(iv)	Chief Executive Officer, Development Authority/ Special Area Development Authority	Member.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. K. MUDGAL, Dy. Secy.